



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.एस.-अ.-19052022-235856
CG-AS-E-19052022-235856

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2186]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 18, 2022/वैशाख 28, 1944

No. 2186]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 18, 2022/VAISAKHA 28, 1944

रेल मंत्रालय

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे, (निर्माण संगठन)

अधिसूचना

न्यू जलपाईगुडी, 18 मई, 2022

का.आ. 2306(अ).—केंद्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खण्ड (7क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, पश्चिम बंगाल राज्य में विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा उल्लिखित उक्त विशेष रेल परियोजना के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य निष्पादित करने के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित अधिकारी को प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्रं. सं.	विशेष रेल परियोजना का नाम	सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)
1.	सेवक-रंगपो (नईलाइन)	विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, कलिम्पोंग

[फा.सं./डब्ल्यू/207/निर्माण/से.र.र.पा.]

विनोद कुमार मीना, उपमु.इंजी.(निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS
NF Railway (Construction Organisation)

NOTIFICATION

New Jalpaiguri, the 18th May, 2022

S.O. 2306(E).— In exercise of the power conferred by clause (7A) of sSection 2 of the Railway Act, 1989(24 of 1989), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (3) of the Table below as the competent authority to perform the functions of such authority under the said Act in respect of the Special Railway Projects as mentioned in column (2) of the said Table for the purpose of execution, maintenance, Management and operation of the said Special Railway Projects in the State of West Bengal with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Serial Number	Name of the Special Railway Project	Competent Authority
(1)	(2)	(3)
1	Sivok-Rangpo (New Line)	Special Land Acquisition officer, Kalimpong.

[F. No.W/207/CON/SRRP]

V.K. MEENA, Dy. CE/CON